दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 31-07-2025

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से नहीं हो सकती वसूली

राज्य सरकार की अपील खारिज, सिंगल बेंच के फैसले को रखा बरकरार

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने कहा है कि वेतन निर्धारण शाखा की गलती से किसी कर्मचारी को अधिक वेतन देने पर उसकी वसूली नहीं की जा सकती। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कर्मचारियों के खिलाफ जारी वसूली आदेश रद्द कर दिया है।

आरक्षक दिव्य कुमार साहू और अन्य कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में त्रुटि के चलते अधिक भुगतान हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने उनके वेतन से वसूली का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और स्वाति कुमारी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। सिंगल बेंच ने वसूली आदेश निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह मामले में फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि विभागीय गलती से मिले अतिरिक्त वेतन की वसूली कर्मचारियों से नहीं की जा सकती।

ब्याज सहित राशि लौटाने के भी निर्देश

हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि पहले से कोई राशि वसूली गई है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज सहित तत्काल लौटाया जाए। टिप्पणी की कि विभागीय त्रुटि की जिम्मेदारी कर्मचारी पर नहीं डाली जा सकती। बिना गलती के कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ डालना संविधान के खिलाफ है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को भेजा पत्र